efUnj U;kl Jh u;uk noh th d y[kkvk vof/k 01-01-2008 l 31-12-2009 rd d vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu e ikb xb xEHkhj vfu;ferrkvk dk lkj %&

Øe l[;k	vfu;ferrk dk lf{kIr lkj	jkf'k ¼₹yk[kk e½	isjk l[;k
1	अधिषासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग मण्डल–II बिलासपुर को निक्षेप कार्यों हेतु अदा की गई राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	₹180	12
2	मुख्य आयुक्त मन्दिर की अनुमति के बिना किया गया व्यय	₹94.97	13
3	स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक संख्या में पदों को भरने के कारण वेतन व भत्तों की राषि का अनियमित भुगतान करना	₹69.08	14
4	न्यास द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हिमाचल प्रदेष उच्च न्यायालय में दायर याचिका के विरूद्ध प्रतिवादी के ब्याजों में उच्चतम न्यायालय द्वारा जयदेव गुप्ता Vs हिमाचल प्रदेष सरकार के मामले में दिए गए निर्णय को समाविष्ट न करने के कारण प्रार्थियों को न्यास निधि से अनियमित भुगतान करना	₹22.41	15
5	न्यास द्वारा छोटे समाचार पत्रों, मैगज़ीनों, सोविनियरों में दिए गए विज्ञापनों पर अनियमित व्यय	₹10.83	17
6	गुफा के नजदीक सतसंग स्टेज व जगराते के लिए जगह के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	₹2.06	18
7	देवताओं के गल्लों की गिनती के दौरान प्राप्त नोटों व सिक्कों की संख्या का अभिलेखन करने के कारण आय की हानि/गबन करना	₹0.73	7
8	ए0सी0पी0एस0 के अर्न्तगत गलत तिथियों से वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के कारण वेतन व भत्तों की राषि का अधिक भुगतान करना	₹0.49	16
9	मुख्य गल्ला व देवताओं के गल्लों की गिनती में पाए गए नोटों को उनके मुल्य से गलत गुणा के कारण आय की हानि/गबन करना	₹0.34	8
10	संस्कृत महाविद्यालय व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की विषेष मुरम्मत के कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान करना	₹0.29	19
11	कौला बाला टोबा में पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान करना	₹0.20	20
12	न्यास कर्मचारियों से पूल लाईसैंस फीस की कम वसूली करना	₹0.10	24
13	अध्यक्ष/आयुक्त मन्दिर की स्वीकृति के बिना न्यास निधि से व्यय करना	₹0.45	25
14	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना न्यास निधि से व्यय करना	₹0.27	26

15 ऋण की वसूली न करना ₹0.50 28

efUnj U;kl Jh u;uk nsoh th dh ys[kkvksa vof/k 01-01-2008 ls 31-12-2009 rd dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

vof/k 01-01-2008 ls 31-12-2009

Hkkx&,d

1 ¼d½ ikjfEHkd %&

हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विनयास अधिनियम 1984 की धारा 23 की उपधारा (II) के अन्तर्गत वित्तायुक्त एवं सचिव (एल0ए0सी0) हिमाचल प्रदेष सरकार की विज्ञपति संख्याः भाषा (ए)(3)/85–पार्ट–II, दिनांक 17.01.89 के अनुसार हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टि गत मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेष के लेखाओं के अंकेक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर निम्न अध्यक्ष व मन्दिर अधिकारी कार्यरत रहे।

¼1½ v/;{k %&

Øe la[;k	uke	vof/k
1	श्री पी0सी0 अकेला	01.01.2008 से 12.09.2008
2	श्री विनय सिंह ठाकुर	12.09.2008 (AN) से 31.12.2009

¼1½ efUnj vf/kdkjh %&

1	श्री जे0सी0 शर्मा	01.01.2008 से 19.06.2008 (FN)
2	श्री एन0के0 अहलुवालिया	19.06.2008 (AN)से 02.05.2009
3	श्री अनुपम ठाकुर	23.06.2009 से 31.12.2009

uksV %& दिनांक 03.05.2009 से 22.06.2009 तक मन्दिर अधिकारी के पद का कार्यभार कार्यालय अधीक्षक के पास रहा।

¼[k½ xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिषिष्ट ''क'' में दिया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर न्यास द्वारा की गई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं पाई गई।

अतः मन्दिर न्यास प्रबन्धन अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु समय बद्ध तरीके से ठोस कार्यवाही अमल में लाने हेतु प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा सुनिष्चित किया जा सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेष के लेखाओं अवधि 01.01.2008 से 31.12.2009 तक का अंकेक्षण श्री पदम सिंह कवर, सहायक नियंत्रक (ले0प0) द्वारा 12.01.11 से 28.06.11 तक व श्री संजीव कुमार (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा 03.03.11 से 28.06.11 तक श्री नयना देवी में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए मास 08/2008, 07/2009 तथा व्यय के लिए 09/2008 व 04/2009 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण हेतु आगामी पैरों में दर्षाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाया गया।

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेख के आधार पर किया गया है। अधूरी सूचना या सूचना प्रस्तुत न करने के लिए अंकेक्षण विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के लेखाओं अवधि 01.01.08 से 31.12.09 के अंकेक्षण कार्य करने पर ₹97,300/–का अंकेक्षण शुल्क का आंकलन किया गया है। सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्याः ए0सी0(ऑडिट)/2011, दिनांक 28.06.2011 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी को उक्त अंकेक्षण शुल्क का भुगतान निदेषक, लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु अनुरोध किया गया।

4 foRrh; fLFkfr %&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के लेखाओं अवधि 01.01.2008 से 31.12.2009 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

¼d½ o"kZ 2008

Øe la[;k	vk;	O;;	vfUre 'ks"k
(1) प्रारम्भिक शेष	7,07,27,073.23		

(2) वर्ष के दौरान प्राप्तियां			
(i) चढ़ावा	7,46,22,663.00		
(ii) जमा राषियों पर प्राप्त ब्याज	28,85,179.09		
(3) अनुदान	---		
(4) अन्य आय	31,80,962.00		
dqy vk;	**15,14,15,871.32**	**6,85,09,520.00**	**8,29,06,357.32**

¼[k½ o"kZ 2009

Øe la[;k	vk;	O;;	vfUre 'ks"k
(1) प्रारम्भिक शेष	8,29,06,357.32		
(2) वर्ष के दौरान प्राप्तियां			
(i) चढ़ावा	8,26,10,285.00		
(ii) जमा राषियों पर प्राप्त ब्याज	81,51,242.12		
(3) अनुदान	---		
(4) अन्य आय	20,98,717.00		
dqy vk;	**17,57,66,601.44**	**9,61,55,944.00**	**7,96,10,657.44**

¼x½ fnukad 31-12-2009 dks vfUre 'ks"k dk fooj.k %&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.12.2009 को शेष राषि का विवरण निम्न प्रकार था।

¼1½ gLrxr jkf'k		**₹7,14,409.24**
¼2½ fofHkUu cSadks ds cpr [kkrks esa tek		
(1) भारतीय स्टेट बैंक श्री नयना देवी जी	₹69,68,492.58	
(2) भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर	₹57,153.67	
(3) को–ऑप्रेटिव बैंक श्री नयना देवी जी	₹11,65,198.00	
(4) को–ऑप्रेटिव बैंक बिलासपुर	₹11,781.95	
(5) पी0एन0बी0 बिलासपुर	₹95,557.00	**₹82,98,183.20**
¼3½ lkof/k tek [kkrks esa		
(1) स्टेट बैंक श्री नयना देवी जी	₹5,57,37,145.00	
(2) उपरोक्त बिलासपुर	₹39,93,828.00	

(3) को–ऑप्रेटिव बैंक श्री नयना देवी जी	₹60,00,000.00	
(4) को–ऑप्रेटिव बैंक बिलासपुर	₹9,92,367.00	
(5) पी0एन0बी0 बिलासपुर	₹33,74,725.00	
(6) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बिलासपुर	₹5,00,000.00	**₹7,05,98,065.00**
;kx ¼1½ $ ¼2½ $ ¼3½		**₹7,96,10,657.44**

¼?k½ cd lek/kku fooj.kh %&

दिनांक 31.12.09 को मन्दिर न्यास के विभिन्न बैंक खातों की समाधान विवरणी निम्न प्रकार थी।

¼1½ Hkkjrh; LVV cd fcykLkiqj [kkrk l[;k 10723029377

पास बुक के अनुसार शेष	₹58,118.67	
(–) बैंक द्वारा दिनांक प्रदत ब्याज की राषि जो रोकड़ बही में दिनांक 19.03.10 को जमा दिखाई गई	(–) ₹965.00	
	₹57,153.67	
उक्त पैरा 4(ग)(2)(2) के अनुसार रोकड़ बही का 31.12.09 को शेष	₹57]153-67	

¼2½ dk&vkifVo cd Jh Uk;uk noh th cd [kkrk l[;k 1

बैंक पास बुक के अनुसार शेष	₹20,57,039.00	
(–) 31.12.09 तक जारी चैक जो रोकड़ में से घटाए थे लेकिन भुगतान के लिए बैंक को 31.12.09 तक प्रस्तुत नहीं किए गए		
(1) चैक संख्या: 3889161	₹28,316.00	
(2) चैक संख्या: 3889164	₹9,775.00	
(3) चैक संख्या: 3889165	₹3,226.00	
(4) चैक संख्या: 3889166	₹20,000.00	
(5) चैक संख्या: 3889168	₹6,83,327.00	
(6) चैक संख्या: 3889169	₹1,47,197.00	¼&½ ₹8]91]841-00
पैरा 4(ग)(2)(3) के अनुसार 31.12.09 को रोकड़ बही का शेष		₹11]65]198-00
		₹11]65]198-00

¼3½ fgekpy izns'k jkT; lgdkjh cd fcykLkiqj dk [kkrk l[;k 10610106168

बैंक पास बुक के अनुसार शेष	₹12,197.95	
(–) प्राप्त ब्याज की राषि जो दिनांक 31.12.09 तक रोकड़ बही में दर्ज नही थी।	(–) ₹416.00	
	₹11]781-95	
पैरा 4(ग)(2)(4) के अनुसार 31.12.09 को रोकड़ बही का शेष		₹11]781-95

¼4½ <u>ih0,u0ch0 fcyklij</u>

बैंक पास बुक के अनुसार 31.12.09 को शेष	₹95,557.00	
पैरा 4(ग)(2)(5) के अनुसार 31.12.09 को रोकड़ बही का शेष		₹95]557-00

¼5½ <u>Hkkjrh; LVsV cSd Jh u;uk nsoh th</u>

बैंक पास बुक के अनुसार 31.12.09 को शेष	₹73,19,635.58	
(–) 31.12.09 तक जारी चैक जो रोकड़ बही में से घटाए गए थे लेकिन भुगतान के लिए बैंक को 31.12.09 तक प्रस्तुत नहीं किए गए		
(1) चैक संख्याः	₹10,005.00	
(2) चैक संख्याः	₹34,895.00	
(3) चैक संख्याः	₹14,199.00	
(4) चैक संख्याः 51878	₹20,000.00	
(5) चैक संख्याः 51879	₹10,095.00	
(6) चैक संख्याः 51880	₹1,781.00	
(7) चैक संख्याः 51882	₹25,000.00	
(8) चैक संख्याः 51883	₹2,27,080.00	
(9) चैक संख्याः 51887	₹6,300.00	
(10) चैक संख्याः 51888	₹1,788.00	¼&½ ₹3]51]143-00
		₹69]68]492.58
पैरा 4(ग)(2)(1) के अनुसार 31.12.09 को रोकड़ बही का शेष		₹69]68]492.58

¼3½ <u>efUnj U;kl }kjk lapkfyd nqdku dk y[kkvksa dh foÙkh; fLFkfr</u> ¾&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा दिनांक 31.12.09 को विभिन्न बैंकों में पैरा 4(ग)(3) के अनुसार ₹7,05,98,065.00 सावधि जमा खातों में निवेषित थे। इस राषि का बैंक वार पूर्ण विवरण संलग्न परिषिष्ट ‘‘ख’’ में दर्षाया गया है।

¼p½ efUnj U;kl }kjk lapkfyr nqdku d y[kkvk dh foÙkh; fLFkfr ¼&

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

o"k	vkjfEHkd 'k"k	iklr vk;	;kx	O;;	'k"k
2008	3,92,702.42	81,60,517.00	85,53,219.42	83,54,086.00	1,99,133.42
2009	1,99,133.42	91,16,719.00	73,15,852.42	90,70,075.00	2,45,777.42

¼p½¼1½ vfUre 'k"k dk fooj.k ¼&

न्यास द्वारा संचालित दुकान की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.12.09 को दुकान की रोकड़ बही में ₹2,45,777.42 शेष थे इस राषि का विवरण निम्न प्रकार था।

हस्तगत राषि	₹29,000.00
राज्य सहकारी बैंक खाता संख्याः 620	₹40,098.55
भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्याः 11530527588	₹1,76,678.87
;kx	₹2]45]777-42

¼p½¼2½ cd lek/kku fooj.kh ¼&

(1) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया श्री नयना देवी जी खाता संख्याः 11530527588 की पास बुक के अनुसार 31.12.2009 को शेष राषि ₹2]54]438-87

(–) 31.12.09 तक जारी चैक जो भुगतान हेतु बैंक को प्रस्तुत नहीं किए गए

Ø0 l0	pd l[;k	jkf'k
1	501093	₹17,280.00
2	501094	₹7,660.00

3	501095	₹5,720.00	
4	501097	₹233.00	
5	501097	₹15,187.00	
6	501098	₹31,680.00	(–) ₹77,760.00
	रोकड़ बही का 31.12.09 को शेष		₹1]76]678-87

¼2½ <u>jkT; lgdkjh cSd Jh u;uk nsoh th</u>

पास बुक के अनुसार 31.12.09 को शेष ₹2]10]464-55

(–) चैक जो जारी किए गए थे लेकिन 31.12.09 तक भुगतान
के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए

Ø0l0	pSd l0	jkf'k	
1	5257090	₹13,110.00	
2	5257091	₹1,35,810.00	
3	5257093	₹21,446.00	¼&½ ₹1]70]366-00
	रोकड़ बही के अनुसार 31.12.09 को शेष		₹40]098-55

5 ¼d½ <u>lkuk</u> ¼& मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2008–2009 के दौरान प्राप्त सोने की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से था :–

o"kZ	iwjfEHkd 'ks"k ¼Q, Kg, Gms, Mg½	izkfIr ¼ Q, Kg, Gms, Mg½	;ksx ¼ Q, Kg, Gms, Mg½
2008	1–07–079–69	0–09–549–724	1–16–629–333
2009	1–16–629–333	0–06–463–727	1–23–093–060

¼[k½ दिनांक 31.12.2009 को शेष सोने का विवरण :–

		Q	Kg	Gms	Mg
1	पूजा अर्चना के लिए गहने के रूप में	0	14	885	437
2	सीलड़ गांठों में	0	31	867	539
3	अन्य (गोल्ड़ बोण्ड स्कीम तथा ईन्टों के रूप में)	0	76	340	084
	;ksx	1	23	093	060

^^[k** <u>xksYkM ck.M Ldhe esa fuosf'kr lksus dk fooj.k</u> ¼&

मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 31.12.09 तक भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड़ बाण्ड डिपोजिट योजना के अन्तर्गत 47 किलो, 481 ग्राम, 640 मि0ग्राम सोने की मात्रा का निवेष किया गया है। इस मात्रा का योजना बार निवेष का विवरण परिषिष्ट ''ग'' में संलग्न है।

^x** <u>lkus dk LVkd jftLVj e 003 xke 900 fe0xke lkus dh ek=k dk de ntl djuk</u> %&

मुख्य गल्ला व रसीदों द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त सोने की मात्रा की सोने के स्टॉक रजिस्टर में गणना की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 003 ग्राम 900 मि0ग्राम सोने की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर मे कम दिखाया गया था। सोने की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्ज करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक रजिस्टर में इसका इन्द्राज दर्ज करना सुनिष्चित करें। इसके अतिरिक्त मुख्य गल्ला रजिस्टर में सोने की मात्रा दर्ज करने के साथ–साथ सोने के आकार जैसे आभूषण, नेत्र, छत्र, इत्यादि का विवरण दर्ज करना सुनिष्चित किया जाए।

e[; xYyk@jlhn ls iklr lkus dh ek=k			LVkd jftLVj e ntl lkus dh ek=k		vUrj			
lk0 la0@jlhn la0@fnukd	Ekk=k		LVkd jftLVj i0 la0	fnukd	Ekk=k		Ekk=k	
	Xkke	fe0xk0			Xkke	fe0xk0	Xkke	fe0xk0
80, 31.03.08	012	800	107	31.03.08	009	300	003	500
123, 19.05.09	016	780	123	19.05.09	016	380	000	400
;kx	029	580			25	680	003	900

6 ¼d½ <u>pknh</u> %& मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त चांदी की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार था :–

o"k	ikjfEHkd 'k"k ¼Q, Kg, Gms, Mg½	ikflr ¼ Q, Kg, Gms, Mg½	;kx ¼ Q, Kg, Gms, Mg½
2008	36–63–199–519	2–88–198–040	39–51–397–559
2009	39–51–397–559	3–24–763–110	42–76–160–669

¼[k½ दिनांक 31.12.2009 को न्यास के पास शेष चांदी का विवरण निम्न प्रकार था :–

		Q	Kg	Gms	Mg
1	पूजा अर्चना के लिए गहने के रूप में, षिव मूर्ति, माता	3	84	693	490

	जी के किवाड़ों व मेहराव पर चढ़ाई गई चांदी				
2	सीलड़ गांठों में	26	09	242	830
3	अन्य (ईन्टों के रूप में)	12	82	224	349
	;kx	42	76	160	669

^x** pkanh dh LVkd jftLVj e 0178 xke 800 fe0xke pkanh dh ek=k dk de ntl djuk %&

मुख्य गल्ला व रसीदों द्वारा वर्ष 2008 व 2009 के दौरान प्राप्त चांदी की मात्रा को चांदी के स्टॉक रजिस्टर में की गई गणना की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार चांदी की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर मे कम दर्ज किया गया था। अतः इस चांदी की मात्रा की गणना स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिष्चित किया जाए।

e[; xYyk@jlhn ls ikIr pkanh dh ek=k			LVkd jftLVj e ntl pkanh dh ek=k				vUrj	
Ik0 l0@jlhn l0@fnukd	Ekk=k		LVkd jftLVj i0 l0	fnukd	Ekk=k		Ekk=k	
	Xkke	fe0xk0			Xkke	fe0xk 0	Xkke	fe0xk 0
80, 31.03.08	314	000	225	31.03.08	299	000	015	000
95474, 27.07.08	376	800	228	27.07.08	376	000	000	800
105604, 01.08.09	157	000	243	01.08.09	000	000	157	000
253, 02.07.09	906	000	242	02.07.09	900	000	006	000
;kx	1753	800			1575	000	178	800

7 norkvk d xYYkk dh fxurh d nkjku ikIr ukVk@flDdk dh l[;k dk vf/kys[ku@¼**overwriting**½ dju d ifj.kkeLo:Ik ₹73]200@&dh gkfu@xcu %&

अंकेक्षण अवधि के लिए चयनित मासों में दानपात्रों/गल्लों के गिनती रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नोटों/सिक्कों की संख्या को अधिलेखन (overwrite) करके लिखा गया था जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है क्योंकि इससे राषि को कम करने अथवा दुरूपयोग/गबन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार नोटों/सिक्कों की संख्या का अधिलेखन करने के कारण ₹73,200/7आय की गणना में कम शामिल हुई जिसका स्पष्टीकरण दोषी अधिकारी/कर्मचारी से लेकर औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा गणना में कम ली गई राषि

की वसूली करके न्यास निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि गिनती रजिस्टर को मन्दिर अधिकारी द्वारा भी सत्यापित अधि प्रमाणित नहीं किया गया था जो स्वतः ही एक अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में परामर्ष दिया जाता है कि मन्दिर न्यास के समस्त अभिलेख को सत्यापित किया जाना सुनिष्चित किया जाए। उक्त कम आंकी गई राषि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

nku ik=@ xYYkk l0	fnukd	ukV@ flDd dk eY;	vf/ky[ku dju d ckn ukVk@flDdk dh l[;k	jkf'k	vf/ky[ku ¼o.k½ dju l igy l[;k	jkf'k	vUrj ¼5&7½	fxurh i0 l0	fVIi.kh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03.08.08	20	12	240	—	—	—	32	अधिलेखन को पढ़ा नहीं गया।
7	03.08.08	10	500	5000	5000	—	—	32	अधिलेखन को पढ़ा नहीं गया।
6	03.08.08	2	200	400	2000	4000	3600	32	2000 से अधिलेखन करके 200 किया गया।
3	04.08.08	10	30	300	50	500	200	33	50 से अधिलेखन करके 30 किया गया।
4	04.08.08	10	20	200	50	500	300	33	50 से अधिलेखन करके 20 लिखा गया।
8	04.08.08	5	100	500	120	600	100	33	120 से अधिलेखन करके 100 किया गया।
8	04.08.08	2	300	600	500	1000	400	33	500 से अधिलेखन करके 300 किया गया।
1	06.08.08	10	100	1000	—	—	—	35	अधिलेखन पढ़ा नहीं गया।
7	06.08.08	2	680	1360	980	1960	600	35	980 से अधिलेखन करके 680 किया गया।
7	07.08.08	5	107	535	157	785	250	36	157 से अधिलेखन करके 107 किया गया।
11	07.08.08	5	2	10	12	60	50	36	12 से अधिलेखन करके 2 किया

									गया।
7	08.08.08	5	160	800	—	—	—	37	अधिलेखन पढ़ा नहीं गया।
9	31.03.10	10	105	1050	—	—	—	204	अधिलेखन पढ़ा नहीं गया।
11	16.07.09	10	05	50	—	—	—	163	अधिलेखन पढ़ा नहीं गया।
11	16.07.09	20	03	60	—	—	—	163	अधिलेखन पढ़ा नहीं गया।
11	16.07.09	05	20	100	28	140	40	163	28 से अधिलेखन करके 20 किया गया।
1	23.07.09	2	400	800	600	1200	400	170	600 से अधिलेखन करके 400 किया गया।
2	23.07.09	2 (सिक्के)	400	800	600	1200	400	170	600 से अधिलेखन करके 400 किया गया।
2	24.07.09	2	300	600	700	1400	800	171	700 से अधिलेखन करके 300 किया गया।
9	24.07.09	100	2	200	5	500	300	171	5 से अधिलेखन करके 2 किया गया।
11	24.07.09	100	2	200	9	900	700	171	9 से अधिलेखन करके 2 किया गया।
3	25.07.09	5	13	65	23	115	50	172	23 से अधिलेखन करके 13 किया गया।
11	26.07.09	10	507	5070	577	5770	700	173	577 से अधिलेखन करके 507 किया गया।

5	29.07.09	50	2	100	3	150	50	176	3 से अधिलेखन करके 2 किया गया।
6	29.07.09	50	2	100	3	150	50	176	3 से अधिलेखन करके 2 किया गया।
7	29.07.09	10	400	4000	4000	40000	36000	176	4000 से अधिलेखन करके 400 किया गया।
8	29.07.09	10	300	3000	3000	30000	27000	176	3000 से अधिलेखन करके 300 किया गया।
1	31.07.09	10	104	1040	174	1740	700	178	174 से अधिलेखन करके 104 किया गया।
11	03.08.09	100	3	300	4	400	100	181	4 से अधिलेखन करके 3 किया गया।
9	20.08.09	2	115	230	215	430	200	198	215 से अधिलेखन करके 115 किया गया।
6	31.08.09	10	15	150	16	160	10	209	16 से अधिलेखन करके 15 किया गया।
11	31.08.09	10	60	600	80	800	200	209	80 से अधिलेखन करके 60 किया गया।
						;kx	₹73200-00		

8 e[; xYyk o nsorkvksa ds xYyksa dh fxurh esa ik, x, dqy uksVksa dh la[;k dks mlds ewY; ¼**Denomination**½ ls xyr x.kk ds dkj.k ikIr vk; dks okLrfod vk; dh jkf'k ₹33]750@&de n'kkuk ¼&

¼d½ मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अंकेक्षण अवधि 01/2008 से 12/2009 के चयनित मासों में विभिन्न देवी–देवताओं के दान पात्रों/गल्लों की गिनती विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि संलग्न परिषिष्ट ''घ'' अनुसार दर्षाई गई दिनांकों को नोटों की संख्या को उसके मुल्य से गलत गुणा करके ₹33,750/–गणना में कम लिए गए जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। परिणामस्वरूप मन्दिर न्यास की निधि में ₹33,750/–की राषि कम जमा हुई जिसकी मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारी जिम्मेदारी निर्धारित करके दोषी से गणना के कारण कम जमा हुई राषि की वसूली करके न्यास लेखे के कारण कम जमा हुई राषि की वसूली करके न्यास लेखे में तुरन्त जमा करवाई जाए तथा भविष्य में आन्तरिक जाँच व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि गिनती रजिस्टर को मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। गिनती रजिस्टर को मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित न किया जाना भी एक अनियमितता है। अतः भविष्य में मन्दिर अधिकारी गिनती रजिस्टर को सत्यापित करना सुनिष्चित करें ताकि त्रुटियों का प्रथम बार ही निपटारा हो सके।

¼[k½ दिनांक 08.08.2008 को प्रथम गल्ला गिनती रजिस्टर पृष्ठ 31 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस गल्ले द्वारा ₹249690/– की चढ़त तथा ₹1088/–कन्डम नोटों की गणना करने के उपरान्त कुल प्राप्त आय दर्षाई गई। गिनती के दौरान ₹50/–के नोटों की कुल संख्या 1010 दिखाई गई थी। दिनांक 08.08.2008 को प्राप्त चढ़त की राषि का विवरण निम्न प्रकार था।

ukV	Lka[;k	jkf'k	vUrj
1000	1	₹1000/–	–
500	56	₹28000/–	–
100	629	₹62900/–	–
50	1010	₹50100/–	400.00
20	781	₹15620/–	
10	7373	₹73730/–	
5	954	₹4770/–	
2	82	₹164/–	
1	56	₹56/–	

jktxkjh

5	1190	₹5950/–
2	1200	₹2400/–
1	5000	₹5000/–
	;kx	₹2]49]690@&

₹249690/–की आय के विवरण में ₹50/–के नोटों की संख्या 1010 का गुणनफल ₹50100/– दिखाया गया है जबकि वास्तविक गुणनफल ₹50500/–बनता हैं। (₹50/– x 1010 = ₹50500/-) इस प्रकार गुणनफल की गलती के कारण आया में ₹400/– (₹50500 – ₹50100) की कम गणना की गई। अतः ₹400/– की वसूली चूककर्त्ता कर्मचारी/अधिकारी से करने के उपरान्त न्यास निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

9 ₹1110@&dh de tek@olyh ckjs ¼&

चयनित मासों में रसीदों से प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों से प्राप्त आय को डे–बुक तथा तदानुसार रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया। अतः आय के रूप में ₹1110/–कम दर्ज/प्राप्त राषि को रोकड़ बही में दर्ज एवं जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

fnukd	eY;	jlhn l[;k	ntl ;kX; jkf'k	ntl jkf'k	de ntl jkf'k
–	100	099766 से 099775 (10 नं0)	1000	–षून्य–	1000
23.08.08	10	186838 से 186863 (26 नं0)	260	250	10
21.08.08	100	99876 से 99880 (5 नं0)	500	400	100
				;kx	₹1110@&

10 ₹357@&dh olyh ckjs ¼&

दिनांक 18.07.2008 के दान पात्र/गल्ला संख्या 1 से 10 तक के विभिन्न दानपात्रों/गल्लों के सिक्कों का योग ₹5,758/–के स्थान पर ₹5,401/–लगाया गया। अतः ₹357/–गणना में कम लिए गए जिसकी चूककर्त्ता से वसूली करके न्यास लेखों में जमा करवाई जाए।

11 fon's'kh enk dk LVkd jftLVj es ys[kk du u djuk ¼&

मुख्य गल्ला गिनती रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 05.08.2008 को प्राप्त विदेषी मुद्रा (यू0एस0 डालर एक नं0) (NoB06165226E) का लेखांकन विदेषी मुद्रा स्टॉक रजिस्टर (अवधि 01.05.08 से 31.07.08) में नहीं किया गया था न ही इस मुद्रा को उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्त अन्य विदेषी मुद्रा जो पत्र संख्या टी0टी0एस0डी0/08–2727, दिनांक 07.08.2008 द्वारा स्टेट बैंक नयना देवी जी में जमा करने हेतु भेजी गई थी, में पाया गया। अतः इस मामले की पूरी छानबीन करने के उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के साथ–साथ उक्त विदेषी मुद्रा के मुल्य की वसूली दोषी से करने के उपरान्त न्यास निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए।

12 efUnj U;kl }kjk fu{ki dk;l ¼fMikftV od½ djokus ds fy, vnk dh xbl ₹1-80 djkM+ dh jkf'k ds mi;kfxrk iek.k i= ikIr djus ckjs %&

मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी द्वारा निम्न विवरणानुसार 1/2008 से 12/2009 तक अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग मण्डल–2 बिलासपुर को निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) करवाने हेतु ₹1,80,67,320/–की राषि का भुगतान किया गया है परन्तु जमा कार्य हेतु अदा की राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नहीं किए गए है जिन्हें सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

Øe l[;k	fuek.k dk;l dk uke	jkf'k tek djus dh frfFk	tek jkf'k
1	स्वारघाट से नयानादेवी सड़क को चौड़ा करने हेतु	19.06.2008	25,00,000
2	घवांडल से गुफा तक के सम्पर्क मार्ग पर पैराफिट के निर्माण हेतु	10.10.2008	5,67,320
3	स्वारघाट नयना देवी	14.04.2009	50,00,000
	भाखड़ा सड़क को चौड़ा करने हेतु	04.06.2009	50,00,000
		20.11.2009	50,00,000
			₹1]80]67]320@&

13 ₹94-97 yk[k dk 0;; e[; vk;Dr ¼efUnj½ dh vuefr ds fcuk djus ckjs %&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित मिष्ठान एवं प्रषाद की दुकान हेतु वर्ष 2009 में मिष्ठान एवं प्रषाद सामग्री के क्रय हेतु ₹94,97,000/–की स्वीकृति पत्र संख्याः पी0एल0एस0टी0टी0एन0डी0–दुकान–368–370, दिनांक 02.02.09 द्वारा निदेषक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला से मांगी गई थी जबकि भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला के पत्र संख्याः भासनि–1/2008–मन्दिर–4059, दिनांक 03.03.09 द्वारा पत्र संख्याः एल0सी0डी0–एफ(4)–2/96–लूज, दिनांक 17.10.2008 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों के

दृष्टिगत प्रकरण को अपने स्तर पर निपटाने बारे सूचित किया गया था। इस अधिसूचना के अन्तर्गत आयुक्त (मन्दिर) को पद यात्रा व वाहन द्वारा आगन्तुक तीर्थ यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु केवल ₹10/–लाख तक की वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा अनियमित रूप से विभिन्न सामग्रीयों के क्रय हेतु ₹94.97 लाख का व्यय किया गया । इस प्रकार ₹84.97 लाख का व्यय विहित शक्तियों के विपरीत अत्याधिक रूप में किया गया, जो विहित अनुदेषों का उल्लंधन है।

अतः उपरोक्त अधिक प्रमात्रा में किए गए व्यय का नियमों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस व्यय के नियमानुकूलन हेतु मुख्य आयुक्त (मन्दिर) से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति से निष्चित तौर पर परिहार किया जाए।

14 efUnj U;kl }kjk Lohd`r inks dh l[;k ls vf/kd l[;k esa in Hkjus ds QyLo:Ik o"kZ 2008 o 2009 ds nkSjku osru o HkÙkksa dh jkf'k ₹69-08 yk[k dk vfu;fer Hkqxrku djuk %&

मन्दिर न्यास द्वारा जारी 31.12.2009 को पदों की स्थिति जो अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ङ'' में दर्षाई गई है का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित श्रेणीयों के पदों को स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक भरा गया है। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2008 व 2009 के दौरान कर्मचारियों के वेतन व भत्तों की राषि ₹69,08,328/–का अनियमित भुगतान किया गया इस राषि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	in uke	Lohd`r in	Hkjs x, in	Lohd`r inks ls vf/kd Hkjs x, in			osru o HkÙkksa dh jkf'k dk vfu;fer Hkqxrku
1	लिपिक	9	13	4	नियमित पद	2	₹4,63,824.00
					अनुबन्ध पद	1	₹1,87,440.00
					दैनिक भोगी	1	₹1,00,800.00
2	चालक	2	4	2	अनुबन्ध पद	1	₹1,89,840.00
					दैनिक भोगी	1	₹1,18,080.00
3	चतुर्थ श्रेणी	70	101	31	नियमित पद	31	₹53,65,728.00
4	प्रवक्ता	14	15	1	नियमित पद	1	₹4,82,616.00
					;ksx		₹69]08]328-00

अतः उपरोक्त अनियमित वेतन व भत्तों की राषि के भुगतान का नियमितीकरण सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए अन्यथा राषि ₹69,08,328.00 की वसूली सम्बन्धित चूककर्त्ता अधिकारी से करना सुनिष्चित किया जाए।

15 Jh 'kfDr ofj"B ek/;fed fo|ky; ds i/kkukpk;Z o vU; ik/;kidks }kjk mPp U;k;ky; esa nk;j ;kfpdk ds iR;qÙkj esa mPPkre U;k;ky; }kjk t; nso xqIrk Vs fgekpy ins'k ljdkj ds ekeys esa fn, x, fu.kZ; ¼,0vkbZ0vkj0 1998 ,l0lh0 2819½ dks lekfo"V u djus ds dkj.k ikfFkZ;ksa dks U;kl fuf/k ls ₹22.41 yk[k dk vuqfpr o vfu;fer Hkqxrku djuk ½&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य व अन्य प्राध्यापकों द्वारा उन्हें राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत समकक्ष कर्मचारियों को देय वेतन मानों के बराबर वेतन मान प्रदान करने बारे उच्च न्यायालय (हिमाचल प्रदेष) में सी0पी0डब्लू 504/2004, 1211/2007, 1212/2007, 1213/2007, 1214/2007, 1216/2007, 1221/2007 से 1225/2007 द्वारा याचिकाऐं दायर करवाई गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में प्रार्थियों के हक में निर्णण देते हुए न्यास को इन कर्मचारियों को देय तिथियों से राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन मानों के समकक्ष वेतन मान व वेतन भत्तों की बकाया राषि के भुगतान करने हेतु आदेष पारित किया गया। तदानुसार इन कर्मचारियों को न्यास द्वारा ₹34,50,380.00 का भुगतान किया गया। उपरोक्त सी0पी0डब्लू के प्रत्युत्तर में न्यास द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत उत्तर की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त मामलों में हिमाचल प्रदेष सरकार के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन(पी0आर)बी(7)–2/2001, दिनांक 15.01.2002 द्वारा जारी दिषा निर्देषों को ध्यान में नहीं रखा गया। इस कार्यालय ज्ञापन का Extract निम्न प्रकार से है :–

"It has been observed that various claims regarding allowing higher pay scale, selection grade, special pay and other financial benefits are being preferred by the employees and such claims are decided by the Hon'ble Courts in favour of the applicants with retrospective effect causing many problems such as payment of arrears, stepup of pay of senior employees etc etc.

The matter has been examined in consultation with the Law Department in the light of Judgement delivered by the Hon'ble Supreme Court of India in case of Jai Dev Gupta Vs State of Himachal Pradesh reported in AIR 1998 SC 2819 and it has been

decided that as and when any dispute is taken to the Court/Tribunal by any employee in respect of his pay scale or selection grade or other allowances etc, the replying respondent should invariably take a defence on the strength of Judgment of Hon'ble Supreme Court in case of Jai Dev Gupta Vs State of H.P. reported in AIR 1998 SC 2819 that the arrears/back-wages should be restricted for a period of three years only. In case the Hon'ble Tribunal/Court do not agree with the defense of Govt/Deptt. the matter should be agitate before the higher Court by way of appropriate remedy."

अगर न्यास द्वारा उच्च न्यायालय में दायर प्रत्युत्तर में उक्त ज्ञापन द्वारा वर्णित उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेष को समाविष्ट किया गया होता तो प्रार्थियों को देय वेतन व भत्तों की राषि के भुगतान को तीन वर्षों तक ही सीमित किया जा सकता था। अतः न्यास के अधिकारियों द्वारा इस मामलों में अत्यन्त गम्भीर चूक की गई जिसके कारण न्यास को ₹22,41,111.00 की राषि का अधिक भुगतान करना पड़ा। अतः यह प्रकरण गहन छानबीन व आगामी उचित कार्यावाही हेतु प्रधान सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेष सरकार तथा निदेषक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेष के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। अनुचित व अनियमित भुगतान की गई राषि का कर्मचारी वार ब्यौरा संलग्न परिषिष्ट ''च'' पर दिया गया है। अतः इस मामले में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को यथा समय सूचित करना सुनिष्चित किया जाए।

16 ,0lh0ih0,l ds rgr xyr frfFk;ksa ls osru of) Lohd`r djus dk dkj.k deZpkfj;ksa dks osru o HkÙkksa dh jkf'k ₹0-49 yk[k dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

न्यास के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों को उनके नाम के आगे दर्षाई गई तिथियों से सुनिष्चित जीविका प्रगतिषील योजना के तहत आगामी उच्च वेतनमान में वेतन निर्धारण पर एक वेतन वृद्धि को स्वीकृत किया गया। लेकिन वित्त विभाग हिमाचल प्रदेष सरकार के ज्ञापन संख्याः फिन(पी0आर0)बी(7)–51/98, दिनांक 27 मार्च, 2002 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार इन कर्मचारियों को टंकण परीक्षा उतीर्ण करने की तिथि से 8 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ती के उपरान्त ही उक्त लाभ देय था। इस प्रकार इन कर्मचारियों को वेतन व भत्तों की राषि ₹49,069/–का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राषि का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिषिष्ट ''छ'' में दर्षाया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने के उपरान्त न्यास निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

17 NkV lekpkj i=k] eSxthu] lkfofu;j e fn, x, foKkiuk ij ₹10-83 yk[k dk vfu;fer 0;;

भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र संख्याः 5/08–मन्दिर–20418, दिनांक 29.08.88 द्वारा छोटे समाचार पत्रों, मैगज़ीन, सोविनियर इत्यादि में विज्ञापन देने हेतु पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था। अंकेक्षण प्रतिवेदन 17.12.85 से 31.12.95 के पैरा संख्याः 25(क) जो उक्त अनियमितता से सम्बन्धित था का निस्तारण अवधि 01/06 से 12/07 के अंकेक्षण के दौरान, मन्दिर न्यास के इस आष्वासन पर किया गया था कि भविष्य में छोटे समाचार पत्रों, मैगज़ीनों व सोविनियरों इत्यादि में विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। लेकिन उक्त आष्वासन के विपरीत मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2008 व 2009 के दौरान छोटे समाचार पत्रों, मैगज़ीनों, सोविनियरों में दिए गए विज्ञापन पर ₹10,82,837/–का व्यय उक्त पत्र द्वारा दिए गए निर्देषों के उल्लंधन में किया गया। इस राषि का पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''ज'' में दिया गया है। इस व्यय का नियमितीकरण सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर किया जाए अन्यथा इस राषि की वसूली संलिप्त कर्मचारी/अधिकारी से करना सुनिष्चित किया जाए।

18 xQk d utnhd lrlx LVt o txjkrk d fy, txg dk fuek.k d dk;l e lfonkdkj dk ₹2]06]208@&dk vf/kd Hkxrku djuk %&

कार्य का नाम	गुफा के नजदीक सतसंग स्टेज व जगराते के लिए जगह का निर्माण
संविदाकार का नाम	श्री जगत राम

उपरोक्त कार्य श्री जगत राम संविदाकार को आबंटन पत्र संख्याः वी0एल0एस/टी0टी0एन0डी0–क्र0सं0–टूकषन–15/17(11)/2006–985–992, दिनांक 15.03.2007 द्वारा ₹52,15,045.00 के लिए आबंटित किया गया जोकि हिमाचल प्रदेष अनुसूची दर 1999 से 55.52% ऊपर था। इस कार्य को पूरा करने के लिए 11 मास का समय आबंटित किया गया था। विस्तृत जाँच हेतु इस कार्य का चयन किया गया था। जाँच के दौरान ₹2,06,208/–के अधिक/अनियमित भुगतान के मामले पाए गए जिन का विवरण आगामी उप पैरों में दिया गया है।

¼d½ fjoV dh jkf'k ₹76]894@&dh de dVkrh djuk %&

संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर निविदा के अनुसार, किए गए कार्य पर 2% की दर से रिवेट की वसूली अपेक्षित थी। कार्य के प्रथम चलित बिल से पांचवें चलित बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए भुगतान की गई राषियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पांचवें बिल तक संविदाकार द्वारा

किए गए कार्य ₹51,15,273/–पर दर निविदा के अनुसार 2% की दर से रिवेट की राषि ₹1,02,305/–की कटौती करने के उपरान्त ₹50,12,968/–की राषि भुगतान हेतु देय बनती थी लेकिन संविदाकार को निम्न विवरणानुसार प्रथम चलित बिल से पांचवें चलित बिल तक 2% की दर से रिवेट काटने के उपरान्त कुल राषि ₹50,89,862/–का भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को ₹76,894/– (₹50,89,862 – ₹50,12,968) के रिबेट की कम वसूली करने के कारण अधिक भुगतान किया गया।

Ø0 l0	fcy l0	ekiu iqfLrdk l0	i`t u0	pkd }kjk Hkqxrku	dqy olwfy;k	;ksx
1	प्रथम	70	55	1002165	₹44,506.00	₹1,04,66,710.00
2	द्वितीय	70	76	1250426	₹1,15,197.00	₹13,65,623.00
3	तृतीय	77	22	953005	₹1,03,608.00	₹10,56,613.00
4	चतुर्थ	70	97	739187	₹98,925.00	₹8,38,112.00
5	पंचम	77	37	683327	₹99,516.00	₹7,82,843.00
				;ksx		₹50]89]862-00

अधिक भुगतान की गई राषि ₹76,894/–की वसूली संविदाकार से करना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ foHkkxh; vkSfpR;rk dh njksa ls mPp njksa ij dk;Z vkcaVu djus ds dkj.k lafonkdkj dks ₹51]512@&dh jkf'k dk vuqfpr ykHk ½&

कार्य आबंटन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न वर्णित कार्य मदों का आबंटन विभागीय जस्टीफिकेषन/औचित्यता की दरों से उच्च दरों पर बिना नैगोषिएषन के किया गया। इस प्रक्रिया से संविदाकार को ₹51,512/–की राषि का अनुचित लाभ दिया गया।

Ø0 l0	en l0	dk;Z en dk laf{kIr fooj.k	dqy ek=k ikpos fcy rd dh ek=k	lafonkdkj }kjk Hkjh xbZ nj	foHkkxh; tLVhfQds'ku ds vuqlkj nj	vkcafVr nj	vuqfpr ykHk
1	2	Excavation in earth work	918.75 803.24	₹90.00	₹63.00	₹80.00	₹13,655.00
2	7(बी)	Form mate in vertical serface	907.75 704.97	₹130.00	₹115.00	₹130.00	₹10,574.00
3	22	Stone filling	140.96	₹450.00	₹420.00	₹450.00	₹11,680.00

		behind retaining wall	389.32				
4	24	15 mm cement plaster in cm 1:6	990.95 767.01	₹70.00	₹60.00	₹70.00	₹7,670.00
5	30	Providing ridges and chips	117 76.80	₹500.00	₹340.00	₹400.00	₹4,608.00
6	36	Finishing wall with water proofing cement Paint	114.24 665.05	₹30.00	₹25.00	₹30.00	₹3,325.00
						;kx	₹51]512-00

अतः उपरोक्त कार्य मदों को विभागीय जस्टीफिकेषन की दरों से उच्च दरों पर आबंटन के कारणों को स्पष्ट किया जाए अन्यथा संविदाकार से राषि ₹51,512/–की वसूली सुनिष्चित की जाए।

¼x½ ycj l`l dh jkf'k ₹50129@&dh de olwyh djuk ¼&

उपरोक्त कार्य के छठे चलित बिल तक संविदाकार द्वारा ₹64,10,437/–के मुल्य का कार्य निष्पादित किया गया (मापन पुस्तिका 77, पृष्ठ 73) लेकिन छठे बिल के दौरान संविदाकार से ₹13,975/–की राषि की वसूली 10% की दर से लेबर सैस के लिए की गई जबकि छठे चलित बिल तक कुल किए गए कार्य पर 10% की दर से लेबर सैस की कटौती अपेक्षित थी छठे चलित कार्य बिल तक 10% की दर से लेबर सैस की राषि ₹64,104/–बनती थी इस प्रकार संविदाकार से लेबर सैस की राषि ₹₹50,129/–(₹64,104 – ₹13,975) की कम कटौती की गई। अतः इस राषि की वसूली संविदाकार से करना सुनिष्चित किया जाए।

¼?k½ f}rh; pfyr fcy esa LVhy dh dk;Z ek=k dh x.kuk esa xyrh ds dkj.k lafonkdkj dks ₹9]388@&dk vf/kd Hkqxrku djuk ¼&

उपरोक्त चलित बिल की मद संख्याः 6(पी0/एल0 स्टील रिइन्फोसमैन्ट) की कुल कार्य मात्रा 24383 कि0 ग्राम का भुगतान ₹36.40 प्रति किलो की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 70 के पृष्ठ 73 द्वारा किया गया। स्टील की उपरोक्त कार्य मात्रा में उक्त मापन पुस्तिका के पृष्ठ 67 के अनुसार 2171 किलो ग्राम (12 एम0एम0 सरिये की मात्रा 1429.65 किलोग्राम + 10 एम0एम0 सरिये की मात्रा 742.11 किलोग्राम) की कार्य मात्रा भी सम्मिलित थी। 2171 किलोग्राम की कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दीवार की नीव में 12 एम0एम0 सरिये की मात्रा कीगणना (28 x 1.15 = 322 m) के लिए की गई थी जबकि वास्तविक गणना 322 मी0 के

स्थान पर केवल 32.20 मी0 बनती थी। इस प्रकार 12 एम0एम0 सरिये की गलत गणना के कारण स्टील की मात्रा 257.92 किलोग्राम (322 m – 32.20 m x 0.89 Kg/m) की दर ₹36.40 प्रति किलोग्राम से संविदाकार को ₹9,388.00 (257.92 किलोग्राम x ₹36.40 प्रति किलोग्राम) का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹9,388.00 की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

¼3½ dk;Z d! r`rh; pfyr fcy d! nkSjku lh0lh0 1%2%4 dh dk;Z ek=k e! ;kx dh xyrh o LVhy dh dk;Z ek=k e! ;kx dh xyrh o LVhy dh dk;Z ek=k dk xyr ekiu d! dkj.k lfonkdkj dk ₹14]184@&dk vf/kd Hkxrku djuk ¼&

उक्त कार्य बिल की मद संख्याः 5(ए)(पी0/एल–सी0सी0 1:2:4 फाऊंडेषन एवं फूटिंग) की कुल कार्य मात्रा 149.66 घन मी0 का भुगतान ₹3,250/–प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 77 पृष्ठ 19 द्वारा किया गया। उक्त कार्य मात्रा में 28.361 घन मीटर की कार्य मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्याः 77 के पृष्ठ 8 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि पृष्ठ 8 पर दर्ज प्रविष्टियों का वास्तविक योग 25.193 घन मीटर बनता था जबकि संविदाकार को 28.361 घन मीटर सी0सी0 1:2:4 की कार्य मात्रा 3.168 घन मीटर (28.361 घन मीटर – 25.193 घन मीटर) दर ₹3,250/–प्रति घन मीटर से ₹10,296/–की राषि का अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त बिल की मद संख्याः 6 (सी0एल0स्टील रिइन्फोर्समैन्ट) की कार्य मात्रा 28493 किलो ग्राम का भुगतान ₹36.40 प्रति किलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 77 के पृष्ठ 19 द्वारा किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्याः 77 के पृष्ठ 13 के अनुसार 774 किलोग्राम (16 एम0एम0 स्टील की मात्रा 107.76 किलोग्राम + 12 एम0एम0 की 615.524 किलोग्राम + 8 एम0एम0 की 51.48 किलोग्राम) की कार्य मात्रा सम्मिलित थी। 12 एम0एम0 स्टील की कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि (6.05 m x 2.20 m) के आकार के सलैव में स्टील की मेन वार की मात्रा (2 x 60 x 3.20m = 384m) दर्षाई गई थी जबकि वास्तव मे यह मात्रा (2 x 60 x 2.20m = 264m) अपेक्षित थी क्योंकि स्लैव की चौड़ाई 3.20 मी0 के स्थान पर 2.20 मी0 थी। इस प्रकार संविदाकार को सरिये की लम्बाई के गलत मापन से ₹3,888/– (384m – 264m x 0.89 Kg/m x ₹36.40/Kg) की राषि का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार तृतीय चलित बिल के दौरान संविदाकार को राषि ₹14,184/– (₹10,296 + ₹3,888) का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

¼p½ dk;l dk pkFkk pfyr fcy e LVhy odl xfVx dk dk;l e ¶yV dk fy, xyr QDVj dk i;kx djus o lh0lh0 Qykfjx 1%2%4 dh nj xyr fu/kkj.k ls lfonkdkj dk ₹4]091@&dh jkf'k dk vf/kd Hkxrku djuk %&

चौथे चलित बिल की मद संख्याः 15 (स्टील वर्क इन ग्रेटिंग) की कार्य मात्रा 995 किलो ग्राम का भुगतान संविदाकार को दर ₹40/—प्रति किलो ग्राम से मापन पुस्तिका संख्याः 70 के पृष्ठ 94 द्वारा किया गया था। इस कार्य मद की रिकॉर्ड प्रविष्टियां इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ संख्याः 90 पर दर्ज थी। इन रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि 40एम0एम0 x 5एम0एम0 के फ्लैट का वजन 2 किलोग्राम प्रति मीटर लिया गया था जबकि इस आकार के फ्लैट का वास्तविक बजन 1.60 किलोग्राम प्रति मीटर होता है। इस प्रकार उक्त फ्लैट की कार्य मात्रा 86.85 किलोग्राम 217.42 मी0 x (2.00 Kg/M – 1.60 Kg/M) का दर ₹40/—प्रति किलो ग्राम से राषि ₹3,474/—का अधिक भुगतान किया गया। प्रतिस्थापी कार्य मद संख्याः 16 (सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4, 40 एम0एम0 मोटी) की कार्य मात्रा 252.137 वर्ग मीटर की भुगतान दर ₹130/—प्रति वर्ग मी0 से मापन पुस्तिका संख्याः 70 के पृष्ठ 94 द्वारा संविदाकार को किया गया। उपरोक्त कार्य के लिए दर का निर्धारण चैपटर प्रिमियम के अनुसार ₹128/—प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया जाना आपेक्षित था। जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

lh0lh0 1%2%4 dk dk;l dk fy, pLVj fiteh;e dk fu/kkj.k %&

Øe la[;k	en dk lf{klr fooj.k	ekud nj	lfonkdkj dh nj
1	White glazed tiles 6mm Thick in cm1:6	₹485.30	₹600.00
2	Kota stone slab flooring 25mm thick in cm 1:4	₹538.30	₹750.00
	Total	**₹1023.60**	₹1350-00
	(–) संविदाकार को दी गई रिबेट		¼&½ ₹27-00
	;kx	**₹1023.60**	₹1323-00

ifr'krrk ¼$\frac{\mathbf{1323}}{\mathbf{1023.5}}$ **x 100**½ **-100 = 29.24%**

अतः सी0सी0 1:2:4 की दर का निर्धारण चैपटर प्रिमियम के अनुसार ₹128/–प्रति वर्ग मीटर की दर से निम्न प्रकार अपेक्षित था।

एच0पी0एस0आर 1999 के अनुसार सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4 की दर	₹97.00 प्रति वर्ग मीटर
+ 29.24% चैपटर प्रिमियम	₹30.72 प्रति वर्ग मीटर
d|y	₹127-72 i|fr ox| ehVj
	;k ₹128@& i|fr ox| ehVj

अतः संविदाकार को सी0सी0 फलोरिंग की कार्य मात्रा 252.137 वर्ग मीटर के लिए ₹617.00 [252.137 sqm x (₹130.00/sqm – ₹128.00)] की राषि का अधिक भुगतान किया गया। संविदाकार को कुल अधिक भुगतान की गई राषि ₹4,091/– (₹3474 + ₹617) की वसूली सुनिष्चित की जाए।

19 lLdr egk fo|ky; o ofj"B ek/;fed ikB'kkyk dh fo'k"k ejEer d dk;l e lfonkdkj dk ikbej dkV dh dk;l en dk nk ckj Hkxrku] ifUVx dh dk;l en dh xyr x.kuk l ₹28]766@& dh jkf'k dk vf/kd Hkxrku djuk %&

okÅpj l[;k 327] ekg 4@09] jkf'k ₹2]77]918@&

इस वाऊचर द्वारा राषि ₹2,77,918/–का भुगतान श्री हेतराम शर्मा को कार्य ''संस्कृत महाविद्यालय व वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला की विषेष मुरम्मत'' के प्रथम चलित बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए किया गया। संविदाकार को इस कार्य का आबंटन न्यास के पत्र संख्याः टी0टी0एन0डी0–निर्माण–(एम)19(12)/07, दिनांक 04.12.08 द्वारा राषि ₹4,32,131/–के लिए किया गया। प्रथम चलित बिल के अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियों को पाया गया।

¼d½ बिल की मद संख्याः 17 (Painting two coats with exterior paint on undecorated wall including applying priming coat of approved make and manefacture) की कार्य मात्रा 1545.27 वर्ग मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्याः 83 के पृष्ठ 19 द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त बिल की मद संख्याः 5 (Applying Priming coat on new concreate/Masonry/Plastered surface) की कार्य मात्रा 2237.44 वर्ग मीटर का भुगतान ₹18/–प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 83 के पृष्ठ 18 द्वारा किया गया। उपरोक्त 2234.47 वर्ग मीटर की कार्य मात्रा में 1545.27 वर्ग मीटर की कार्य मात्रा भी सम्मलित थी। अतः 1545.27 वर्ग मीटर की कार्य मात्रा के लिए Priming coat का भुगतान दो बार किया

गया। प्रथम बार यह भुगतान बिल की मद संख्याः 17 द्वारा वर्णित कार्य के भुगतान में किया गया तथा दूसरी बार बिल की मद संख्या 5 द्वारा राषि ₹27,798/– (1544.33 sqm x ₹18.00/sqm) के लिए किया गया। अतः दो बार भुगतान की गई राषि ₹27,798/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ बिल की मद संख्याः 6 (Painting two coats excluding priming coat on new concreate) की कार्य मात्रा 711.64 वर्ग मीटर का भुगतान ₹45/–प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 83 के पृष्ठ संख्याः 18 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में 218.30 वर्ग मीटर की कार्य मात्रा सम्मलित थी जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियां इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 12 पर दर्ज थी। इन रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस कार्य मात्रा की वास्तविक गणना 218.30 वर्ग मीटर के स्थान पर केवल 196.80 वर्ग मीटर थीं अतः संविदाकार को उक्त मद संख्याः के लिए ₹968/– [(218.30 sqm – 196.80 sqm) x ₹45/sqm] का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹968/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

20 dkyk okyk Vkck e= ikfdZx ,fj;k dh MCyieSV d= dk;Z e= lafonkdkj dk ₹0-20 yk[k dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

कार्य का नाम कौला बाला टोबा में पार्किंग एरिया की डवैलपमैंट का कार्य

संविदाकार का नाम श्री अजमेर सिंह

उपरोक्त कार्य का आबंटन श्री अजमेर सिंह संविदाकार को न्यास के आबंटन पत्र संख्याः बी0एल0एस0टी0टी0एन0डी0/निर्माण–3604, दिनांक 04.11.2008 द्वारा ₹25,51,010/–के लिए जो हिमाचल प्रदेष मानक दर अनुसूची 1999 से 96.38% ऊपर था, के लिए किया गया। कार्य के प्रथम चलित बिल से तृतीय चलित बिल तक किए गए कार्य की विस्तृत जाँच पड़ताल की गई। जाँच पड़ताल के दौरान संविदाकार को ₹19,629/–की राषि के अधिक भुगतान के निम्न मामले पाए गए।

¼d½ बिल की मद संख्याः (1) (एकस्कावेषन इन फाऊंडेषन एव ट्रैन्चिज) की कार्य मात्रा 691.53 घन मीटर का भुगतान ₹110/–प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 81 के पृष्ठ 30 द्वारा संविदाकार को किया गया। इस कार्य मात्रा की निम्न रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य मात्रा में से 179.89 घन मीटर की मात्रा एकसकेवेषन इन ड्रेन व मात्रा 418.80 घन मीटर एस्सवेषन इन अर्थ वर्क से सम्बन्धित थी। लेकिन समस्त मात्रा 691.53 घन

मीटर का भुगतान एक्सकावेषन इन फांऊंडेषन एण्ड ट्रेन्चिज की दर ₹110/–प्रति घन मीटर से किया गया।

(I) <u>Exavation in drain</u>

MB. No.	**Page No.**	**Quantity**
81	1	123.37 m^3
81	25	47.77 m^3
81	5	8.75 m^3
	Total	**179.89 m^3**

(II) <u>Exavation in earth work</u>

MB. No.	**Page No.**	**Quantity**
81	**7**	418.80 m^3
	Total	**418.80 m^3**

(III) <u>Exavation in foundation & Tranches.</u>

MB. No.	**Page No.**	**Quantity**
81	**6**	12.82 m^3
81	**6**	31.48 m^3
81	**25**	13.77 m^3
81	**4**	34.77 m^3
	Total	**92.84 m^3**

इस प्रकार केवल 92.84 घन मीटर की कार्य मात्रा का भुगतान Excavation in foundation and trenches की दर ₹110/–प्रति घन मीटर से अपेक्षित था तथा शेष मात्रा 179.89 घन मीटर का भुगतान प्रतिस्थायी (Subsituted) मद की दर से अपेक्षित था। इन प्रतिस्थायी मदों की दरों को निम्न प्रकार निर्धारित किया जाना था।

(I) Excavation in earth work की दर का निर्धारण

अनुबन्ध मे समान कार्य मद i.e. Excavation in foundation and trenches की संविदाकार द्वारा भरी गई दर	₹110/–
H.P.S.R 1999 के अनुसार दर	₹92.85/–

i;fr'krrk ¼ $\frac{\mathbf{110}}{\mathbf{92\text{-}85}}$ **x 100½ -100 =** **18.47%**

Excavation in earth work की H.P.S.R 1999 की दर (P.J.W)	69.25
	<u>12.79</u>
+ contractor premium for similar class of work @ 18.47 %	82.04
	या ₹82.00 प्रतिघनमी0

(II) Excavation in drain and channel के कार्य की दर का निर्धारण

H.P.S.R 1999 के अनुसार दर		प्रति घन मीटर 75.95
(+) संविदाकार का समान कार्य के लिए प्रिमीयम 18.47%		₹14.03
	;kx	₹89-98 ;k ₹90-00

अतः संविदाकार को कार्य की मद संख्याः 1 द्वारा वर्णित कार्य के लिए निम्न विवरणानुसार ₹60,744/–का भुगतान देय था लेकिन न्यास द्वारा संविदाकार को ₹76,068/– का भुगतान किया गया इस प्रकार संविदाकार को ₹15,324/–का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

lfonkdkj dk n; jkf'k dk fooj.k

dk;Z en dk lf{kIr fooj.k	dk;Z dh ek=k	n; nj	jkf'k
(I) Excavation in earth work	418.80 m^3	₹82.00	₹34,342.00
(II) Excavation in drain and channel	179.89 m^3	₹90.00	₹16,190.00
(III) Excavation in foundation and Traches	92.84 m^3	₹110.00	₹10,212.00
			₹60]744-00

¼[k½ डी0एन0आई0टी0 की मद संख्याः 2(Carriage of Material i.e. excavated earth up to 1 Km lead) की कार्य मात्रा 662.38 घन मीटर का भुगतान ₹160.00 प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 81 के पृष्ठ 30 के द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा में इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 23 पर दर्ज 24.48 घन मीटर की कार्य मात्रा सम्मलित थी। 24.48 घन मीटर की कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 1x15.30 x 1.20 x 2.00/2 की गणना 24.48 घन मीटर भी दिखाई गई थी जबकि इस प्रविष्टि की वास्तविक गणना 18.36 घन मीटर बनती है। इस प्रकार उक्त मद की कार्य मात्रा 6.12 घन मीटर (24.82 घन मीटर – 18.36 घन मीटर) का दर ₹60/–प्रति घन मीटर से राषि ₹367.00 का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली सुनिष्चित की जाए।

¼x½ बिल की मद संख्याः 8(ए)(पी/एल0सी0सी0 1:1½:3, 20 एम0एम0 आकार) की कार्य मात्रा 169.867 घन मीटर का भुगतान ₹3580 प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 81 के पृष्ठ 21 द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा में 17.16 घन मीटर की कार्य मात्रा सम्मलित थी जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियां एस0एम0वी0 के पृष्ठ 16 पर दर्ज की गई थीं रिकॉर्ड प्रविष्टियां की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य मद के लिए सरिये का प्रयोग निम्न वर्णित माप के लिए किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 160.60 वर्ग मीटर बनता है। अतः इस क्षेत्रफल में 0.10 मी0 मोटी रोडी

डालने के लिए कार्य की मात्रा की गणना 16.06 घन मीटर बनती है लेकिन इस मात्रा के विरूद्ध संविदाकार को 17.16 घन मीटर की कार्य मात्रा का भुगतान किया गयां इस प्रकार संविदाकार को इस मद के लिए ₹3,938.00 (17.16 घन मीटर – 16.06 घन मीटर) x ₹3,580.00 प्रतिघन मीटर की राषि का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राषि ₹3,938.00 की वसूली सुनिष्चित की जाए।

(I)	3 x 3.00 x 3.00	27.00 sqm
(II)	3 x 3.00 x 2.90	26.10 sqm
(III)	6 x 3.00 x 3.00	54.00 sqm
(IV)	3 x 3.00 x 3.00	27.00 sqm
(V)	1 x 3.00 x (3.10 + 1.90) / 2	7.50 sqm
(VI)	1 x 3.00 x (1.90 + 2.10) / 2	6.00 sqm
(VII)	1 x 3.00 x (2.10 + 2.80) / 2	7.35 sqm
(VIII)	½ x (2.50 + 2.00)	2.50 sqm
(IX)	½ x (2.00 + 3.15)	3.15 sqm
		160.60 sqm

21 dkyk okyk Vkck d ft.kk)kj d dk;l ¼ikdl {k= d fodkl o eUMkuk iRFkj yxokuk½ e lfonkdkj dk feêh dh <ykbl d dk;l d fy, jkf'k ₹5]761@& dk nk ckj Hkxrku djuk ¼&

वाऊचर संख्याः 339, माह 4/09, राषि ₹3,30,284/– उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹3,30,284 की राषि का भुगतान श्री मति सीमा देवी पत्नी श्री दलजीत सिंह को कार्य ''कौला वाला टोबा का जिर्णोद्धार'' के प्रथम चलित बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए किया गया। संविदाकार को इस कार्य का आबंटन न्यास के पत्र संख्याः वी0एल0एस0टी0टी0एन0डी0–निर्माण–16(10)–2007–3855–3865, दिनांक 22.11.08 द्वारा किया गया था। कार्य बिल के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बिल की मद संख्याः 9(ए) व (बी) (Carriage of soil by manual labour up to 100 mt (B) by Machenical car transport up to one K.M) की कार्य मात्रा 45.72 घन मीटर का भुगतान क्रमषः ₹62/– व ₹64/–प्रतिघन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 68 के पृष्ठ 38 द्वारा कुल

राषि ₹5,761/– के लिए किया गया था। बिल की मद संख्याः 1 की रिकॉर्ड प्रविष्टियों के अवलोकन से पाया गया कि उक्त मिट्टी की मात्रा को मद संख्याः 1 (Excavation in foundation and trenches) के निष्पादन से प्राप्त किया गया था। मद संख्याः एक द्वारा वर्णित कार्य के नार्मन कलेचर के अवलोकन से पाया गया कि संविदाकार द्वारा इस मद के लिए भरी गई दर (₹145/–प्रति घन मी) में मिट्टी की ढुलाई सभी दूरियों व ऊंचाईयों के लिए सम्मलित थी । अतः संविदाकार को मिट्टी की ढुलाई का भुगतान एक बार बिल की मद संख्याः द्वारा भरी गई दरों के भुगतान के समय किया गया क्योंकि यह दर ढुलाई सहित थी तथा दूसरी बार बिल की मद संख्याः 9 द्वारा ₹5761/–के लिए किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹5,761/–का भुगतान दो बार किया गया। अतः दोहरे भुगतान की राषि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

22 ekr` vkpy dh MkjeVjht dk dejk e cnyu d dk;l e fcd odl l lEcfU/kr dk;l d Hkxrku e ₹1]728@&dk vf/kd Hkxrku djuk %&

okÅpj l[;k 692] fnukd 18-09-08] jkf'k ₹8]63]981@&

इस वाऊचर द्वारा संविदाकार श्री एच0के0 शर्मा को कार्य ''मातृ आंचल की डोरमैट्रीज को कमरों में बदलना'' के प्रथम चलित बिलके दौरान किए गए कार्य के लिए किया गया। यह कार्य संविदाकार को न्यास के पत्र संख्याः टी0टी0एन0डी0–निर्माण 6(3)/06–30–36, दिनांक 05.01. 2007 द्वारा राषि ₹20,36,560/–के लिए आबंटित किया गया था। प्रथम चलित बिल के दौरान किए गए कार्य का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य बिल की मद संख्याः 3 (C/o Half brick masonry in em 1:4) की कार्य मात्रा 272.83 वर्ग मीटर का भुगतान ₹240/–की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 67 के पृष्ठ 68 द्वारा किया गया। इस कार्य मद की रिकॉर्ड प्रविष्टियां इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 63 पर दर्ज थी। इन रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्याः 19 (P/F Iron Hold Fast in e.c. block 0.30 x 0.10 x 0.15) के निष्पादन में प्रयोग किए गए सीमेन्ट कन्क्रीट के ब्लाकों के क्षेत्रफल को मद संख्याः 3 (Half brick Masanary) की कार्य मात्रा में से नहीं घटाया गया था। जबकि सीमेन्ट कन्क्रीट ब्लाकों के क्षेत्रफल को मद संख्याः 3 की कार्य मात्रा में से घटाने के बाद शेष कार्य मात्रा का भुगतान अपेक्षित था क्योंकि सीमेन्ट कन्क्रीट के ब्लाकों की मात्रा का भुगतान एक बार कार्य मद संख्याः 19 के भुगतान में तथा दूसरी बार मद संख्याः 3 की कार्य मात्रा के भुगतान के साथ किया गया। अतः संविदाकार को मद संख्याः 3 की कार्य मात्रा 7.20 वर्ग मीटर (240 x 0.30 m x 0.10 m) का दर ₹240/–प्रति वर्ग मी

की राषि ₹1,728 ⁄ –का अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई राषि ₹1,728 ⁄ –की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

23 ?kcUMy pkd ij Vk;yV Cykd d fuek.k dk;l e vkj0lh0lh0 dh dk;l ek=k dh xyr x.kuk d dkj.k lafonkdkj dk ₹468@&dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku %&

okÅpj l[;k 345] fnukd 20-04-09] jkf'k 2]44]934@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹2,44,934 ⁄ –की राषि का भुगतान श्री श्याम लाल चौहान को कार्य ''घबान्डल चौक पर टोयलेट ब्लॉक का निर्माण'' के प्रथम चलित बिल के लिए किया गया। इस कार्य का आबंटन संविदाकार को न्यास के पत्र संख्याः टी0टी0एन0डी0–निर्माण–439, दिनांक 16.02.08 द्वारा किया गया था। प्रथम चलित बिल के दौरान किए गए कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ व कार्य का मुल्यांकन (Abstract of cost) मापन पुस्तिका संख्याः 66 के पृष्ठ 41 से 52 तक किया गया था। इस बिल के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्याः 5(ए) (पी0 ⁄ एल0आर0सी0सी0 1:2:4 इन फाऊंडेषन एवं फूटिंग) की कुल कार्य मात्रा 11.84 घन मीटर का भुगतान ₹2,750 ⁄ –प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 66 के पृष्ठ 51 द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां उक्त मापन पुस्तिका के पृष्ठ 43 व 45 पर दर्ज थी। इन रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 8 नम्बर कॉलमों के टेपर्ड पोरषन में निष्पादित की गई आर0सी0सी0 का मापन निम्न प्रकार किया गया था।

$8 \times \frac{.45}{3} ((1.50)^2 + (0.40)^2 + (1.5)^2 \times (0.40)^2) = 3.32\ m^3$ लेकिन इन कॉलमों के टेपर्ड पोरषन में की गई आर0सी0सी0 की कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार अपेक्षित थी :–

$$8 \times \frac{.45}{3} ((1.50)^2 + (0.40)^2 + \sqrt{(1.5)^2 \times (0.40)^2}) = 3.15\ m^3$$

इस प्रकार संविदाकार को आर0सी0सी0 के कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण 0.17 घन मीटर (3.32 घन मी0 – 3.15 घन मी0) दर ₹2,750 ⁄ –प्रति घन मीटर से ₹468 ⁄ –की राषि का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹468 ⁄ –की वसूली सुनिष्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

24 ₹10]368@&dh ekfld iyM LV.M ykbl l 'kYd dh de olyh ckj %&

मन्दिर न्यास द्वारा अपने अधिकारियों ⁄ कर्मचारियों को रिहायषी आवासों का आबंटन किया गया है। जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों से सामान्य प्रषासन विभाग

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः जी0ए0डी0—डी0—3(सी)14—2/97, दिनांक 21.05.2005 द्वारा निर्धारित पूल्ड स्टैन्र्ड लाईसैंस शुल्क की वसूली नहीं की गई जो कि टाईप—1 से सम्बन्धित है जिसे परिषिष्ट ''झ'' पर दर्षाया गया है ₹10,368/—बनती है। अतः अनुचित रूप से कम की गई लाईसैंस शुल्क की यह वसूली/कटौती, तथा अन्य यदि कोई हो, को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके न्यास निधि के लेखों में तुरन्त जमा करवाया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

25 ₹45]192@& dh jkf'k dk 0;; v/;{k@vk;Dr ¼efUnj½ dh vuqefr d fcuk fd;k tkuk ¼&

आयुक्त (मन्दिर) एवं उपायुक्त बिलासपुर के पत्र संख्याः टी0टी0—इन्स्ट 0/94, दिनांक 02.08.1994 तथा 17.11.2008 द्वारा मन्दिर अधिकारी को ₹5,000/—तक "Passing/Disbussing of Bill/Expenditure in general" की वित्तीय शक्ति/अनुमोदन हेतु प्राप्त है। अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में किए गए व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किए गए व्यय का प्रायोजन उद्देष्य तथा आगामी खपत बारे कोई भी अभिलेख अथवा टिप्पणी व्यय वाऊचर के साथ संलग्न नहीं थी। परिणामस्वरूप किए गए व्यय की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख सहित किए गए व्यय की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता बारे पुनरावृति से निष्चित तौर पर परिहार करें।

okÅpj l[;k	ekg	fooj.k	nj	jkf'k
700	9/08	चाय 5832 कप	2	₹11,664/—
		बर्फी 8.75 कि0ग्रा0	100	₹875/—
		बेसन 1—400 कि0ग्रा0	80	₹112/—
		पानी (मिनरल) 610 नम्बर	12	₹7,320/—
		हल्वा 2 किलो ग्राम	50	₹100/—
		दूध 102 कि0ग्राम	18	₹1,836/—
				₹21]907@&
358	4/09	चाय 7978 कम	2	₹15,956/—

बर्फी 2.650 कि0ग्रा0	120	₹318/–
पानी (मिनरल) 454	12	₹5,448/–
दूध 81	18	₹1,458/–
बेसन 1.050	100	₹105/–
		₹23]285@&

26 l{ke vf/kdkjh dh Lohdf`r o vkSipkfjdrkvksa ds fcuk ₹27]400@&dh jkf'k dk Hkqxrku djuk

चयनित मासों के भुगतान वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किए गए व्यय में सक्षम प्राधिकारी से बिना स्वीकृति/अनुमोदन तथा अन्य वित्तीय औपचारिकताएं जैसे निविदा/कोटेषन अथवा दर संविदा फर्म से क्रय जिससे कि दरों के न्यूनतम होने बारे पुष्टि की जा सके और क्रय किए गए सामान की स्टॉक पुविष्ट तथा उसकी आगामी खपत/उपयोग बारे अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः निम्न प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं बारे अंकेक्षण को अभिलेख सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

okÅpj la[;k	ekg	en dk fooj.k	jkf'k	QeZ dk uke
642	03.09.08	10(100 ली0) डस्ट बिन 7 (125 ली0) डस्टबिन (वैट सहित)	₹27,777/–	डिप पलास्ट प्लास्टिक लि0 एस0ए0एस नगर बिल नम्बर 9180 दिनांक 09.08.08
30	18.04.09	ऐसर पावर एम्डथालोन, 1 जी0वी0डी0डी0आर–2 डी0वी0डी0आर0सी0यू0–160 यू0पी0एस0–500	₹24,900/– ₹2,500/– ₹27,400/–	नैट पाऊण्ट मेन मार्किक बिलासपुर बिल सं0 4453, दिनांक 17.04.2009

27 ₹49]999@& dh jkf'k dh nokbZ;ksa dh [kjhn bR;kfn vads{k.k esa izLrqr u djuk %&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा निम्न विवरणानुसार चयनित मासों में दवाईयों के क्रय हेतु विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भुगतान किया गया। जाँच करने पर पाया गया कि

दवाईयों का क्रय सिविल सप्लाई कार्पोरेषन बिलासपुर से किया गया परन्तु क्रय की गई दवाईयों का वितरण/खपत_अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र मन्दिर न्यास को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त के अभाव में क्रय की गई दवाईयों की स्टॉक प्रविष्टि एवं आगामी वितरण अथवा शेष दवाईयों की पुष्टि नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप अपेक्षित अभिलेख सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए व भविष्य में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी भुगतान जारी किए जाएं।

okÅpj l[;k	ekl	fcy l[;k ,o LokLF; dUnz dk uke	jkf'k ¼₹½
305	4/09	डी0एल0 नम्बर 20–बी0एल0आर0/95/21, दिनांक 28.08.1995 व डी0एल0 नं0 21–बी0एल0आर0/95–22–25/08/95 (सी0एच0सी0 घवांडल)	₹39,999/–
306	4/09	डी0एल0 नम्बर 20–बी0एल0आर0/95–21, दिनांक 28.08.1995 (आर्युवेदिक स्वास्थ्य केन्द्र श्री नयना देवी जी)	₹10,000/–

28 <u>₹50]000@&jkf'k dk _.k dh olwyh u djuk</u> %&

okÅpj l[;k% 648] ekl 04-09-08] jkf'k ₹50]000@&

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा ₹50,000/–का भुगतान जिला नाजर बिलासुपर को किया गया। उक्त भुगतान चैक संख्याः 392579, दिनांक द्वारा रैडक्रॉस हेतु किया गया। चर्चा में बताया गया कि उक्त भुगतान ऋण आधार पर सम्बन्धित संस्था/सोसाईटी को किया गयां परन्तु उक्त राषि को संस्था द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक वापिस नहीं किया गया था जिसे यथाषीघ्र वापिस लिया जाए तथा न्यास निधि में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के भुगतानों पर निष्चित तौर पर अंकुष लगाया जाए ताकि मन्दिर न्यास को अनावष्यक रूप से ब्याज की हानि न हो।

29 <u>nku esa izkIr fofHkUu oLrqvksa dk LVkWd jftLVj esa de ntZ djuk</u> %&

अंकेक्षण अवधि 01/2008 से 12/2009 के चयनित मासों में दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न मदों जो कि रसीदों द्वारा प्राप्त की गई थी की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ मदों जिन्हे निम्न विवरणानुसार दर्षाया गया है, को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में कम अथवा दर्ज ही नहीं किया गया

था, जो कि गम्भीर अनियमितता है। अतः कम दर्ज की गई विभिन्न मदों की वसूली न्यास द्वारा तय बिक्री दरों अथवा बाजारी भाव की दर से सम्बन्धित कर्मचारी से करके शीघ्र न्यास निधि में जमा करवाई जाए।

fnukad	jlhn la[;k	en dk uke	ikIr ek=k	LVkd jftLVj esa ntZ ek=k	de ntZ ek=k
06.08.08	99202 से 99204 99206 99208 99209 99211,12,15,16,17,19, 20,22,24,27,28,29 व 99230	छत वाले पंखे	19	16	3
15.08.08	99245	टयूब सैट	1	शून्य	1
19.08.08	99248	पंखा	1	शून्य	1
23.08.08	99259	टयूब सैट	1	शून्य	1
24.08.08	99261	टयूब सैट	1	शून्य	1
07.08.08	99210	टेबल पंखा	1	शून्य	1
04.08.08	96987	दिवार घड़ी	1	शून्य	1
12.07.09	10435	एषियन रेट्रो लाईट 85(वॉट) सी0एफ0एल	1	शून्य	1
21.07.09	104364	वायर रोल (90 मीटर)	1	शून्य	1
08.08.08	98906	छतवाला पंखा	1	शून्य	1
शून्य	104566	छतवाला पंखा	1	शून्य	1

30 yaxj %&

¼d½ लंगर के राषन स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि लंगर हेतु विभिन्न तिथियों को राषन मदों को जारी किया गया परन्तु खपत की जाँच हेतु लंगर मीनू तैयार नहीं किया गया परिणामस्वरूप किस–किस तिथि को कौन–कौन सी राषन मद खपत होनी थी जाँच नहीं की

जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में मन्दिर न्यास ट्रस्ट सहित प्राधिकारियों को परामर्ष दिया जाता है कि न्यास लंगर मीनू को तैयार करे जो कि साप्ताहिक आधार पर हो जिससे लंगर हेतु जारी विभिन्न मदों (राषन) की दिन वार पुष्टि की जा सके। विषेष लंगर की पुष्टि अलग से लंगर खपत रजिस्टर में दर्ज की जानी सुनिष्चित की जाए जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

¼[k½ लंगर राषन के स्टॉक रजिस्टर के योगों की जाँच करने पर पाया गया कि माह 4/2008 मे मद माह सावत का योग जो 12 क्विंटल 00 किलो बनता था, को 11 क्विंटल 55 किलो लिया गया। अतः गणना में 45 किलो माह साबुत कम लिए गए जिसकी वसूली दोषी से बाजारी दर से करके मन्दिर लेखें में तुरन्त जमा करवाई जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

31 Jh /keZiky 'kekZ ¼iz f'kf{kr Lukrd v/;kid½ foKku dk fcuk U;kl ,oa vk;qDr efUnj dh vuqefr ds foKku iz k;ksfxd HkÙkk nsus ckjs %&

श्री धर्मपाल शर्मा प्रषिक्षित स्नातक अध्यापक (विज्ञान) को नोट संख्या 48, दिनांक 18.09.2000 से मन्दिर अधिकारी द्वारा ₹150/—मासिक प्रायोगिक विज्ञान भत्ता स्वीकृत किया गया। जाँच में पाया गया कि उक्त भत्ता देने हेतु मन्दिर न्यास तथा आयुक्त मन्दिर से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जबकि मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के कर्मचारी सेवा उप नियम 1994 के भाग (V) के पैरा 4 के अनुसार सभी प्रकार के भत्तों का भुगतान आयुक्त मन्दिर द्वारा निर्धारित शर्तों व राषि के अनुसार किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित कार्योत्तर स्वीकृति मन्दिर आयुक्त से प्राप्त करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

32 ₹11]790@&dh eaxthu rFkk iqLrdky; ifrHkkfr fuf/k;ksa dh olyh u djus ckjs %&

जमा एक जमा दो कक्षाओं से वसूल की जाने वाली निधियों से वसूली हिमाचल प्रदेष षिक्षा संहिता—2001 के आर्टीकल 4.5.2 में वर्णित अधिसूचना संख्याः षिक्षा—2(छः) 61/2001, दिनांक 12.04.2001 द्वारा निम्न दर्षाई विवरणानुसार नहीं की गई जो कि एक गम्भीर अनियमिता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आषय के साथ लाया जाता है कि निम्नविवरणानुसार वसूल नहीं की गई, निधियों की वसूली हेतु सम्बधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करके इस राषि की शीघ्र वसूली सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

o"kZ	fuf/k dk uke	d{kk	Nk= la[;k	nj	jkf'k

2008	मैगज़ीन निधि	XI	118	15	₹1,770.00
		XII	55	15	₹825.00
2008	पुस्तकालय प्रतिभूति	XI	118	30	₹3,540.00
		XII	55	30	₹1,650.00
2009	मैगज़ीन निधि	XI	66	15	₹990.00
		XII	69	15	₹1,035.00
2009	पुस्तकालय प्रतिभूति	XI	66	30	₹1,980.00
				;kx	₹11]790-00

33 jlhn ifLrdkvk d LVkd jftLVj ckj %&

उच्चतर विभाग के छात्रों से शुल्क व निधियों की वसूली रसीदों द्वारा तो की गई लेकिन अंकेक्षण अवधि में कुल प्राप्त की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जबकि प्रत्येक रसीद पुस्तिका की स्टॉक प्रविष्टि जारी किए जाने तथा प्रयोग में लाए जाने सम्बन्धी ब्यौरा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि में कुल मुद्रित प्राप्त रसीद पुस्तिकों व उनके उपयोग/खपत की जनकारी अभिलेख सहित अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। चर्चा में बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया जोकि आपत्तिजनक है। अतः उक्त प्रकरण में अब आवष्यक कार्यवाही करके अनुपालना अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के समय पड़ताल हेतु प्रस्तुत की जाए।

34 Hk.Mkj jftLVj %&

सभी निधियों के भण्डार रजिस्टरों में विभिन्न वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियां प्रत्येक वस्तुवार खाते तैयार करके नहीं की गई थीं इस अनियमितता के कारण प्रत्येक वस्तु की बकाया मात्रा की स्थिति की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपभोज्य एवं अनुपभोज्य वस्तुओं की प्रत्येक मद के लिए वस्तुवार मद वार खाते तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 efrl jftLVj ,o vpy lEifr jftLVj ckj %&

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा चल व अचल सम्पति रजिस्टर तथा मूर्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था नियम 1984 के नियम 6 के प्रावधानों के विरूद्ध है। अचल सम्पति सम्बन्धी रजिस्टर का रख–रखाव एवं मूर्तियो ंके अभिलेख का रख–रखाव न्यास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतः नियमानुसार अभिलेख तैयार किए जाएं तथा इन अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

36 y?kq vkifÙk fooj.khdk %& समस्त लघु आपत्तियों को स्थल पर ही निपटा दिया गया है। अतः यह अलग से जारी नहीं की गई है।

37 fu"d"k %& लेखाओं में सुधार की नितान्त आवष्यकता है गत वर्षों के अनिर्णीत पैरों पर न्यास प्राधिकारी द्वारा ठोस कार्यवाही करने की आवष्यकता है ताकि आपत्तियों का निपटारा संभव हो सके।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

i"Bkadu la[;k%&फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)186/96–खण्ड–8, दिनांक, षिमला–171009.

izfrfyfi %& निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

(1) प्रधान सचिव, (भाषा विभाग) हिमाचल प्रदेष षिमला–171002.

(2) उपायुक्त एवं आयुक्त, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी मन्दिर बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेष।

(3) निदेषक, (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

lathdr (4) मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.